

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 503]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 नवम्बर 2011—अग्रहायण 3, शक 1933

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 3-16-2010-सत्रह-मेडि-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-एक में शीर्षक समूह “ख” गैर चिकित्सीय में अनुक्रमांक 22 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पुनरीक्षित वेतनबैंड + ग्रेड पे. वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	वरिष्ठ निज सहायक	4	द्वितीय श्रेणी	पी.बी. 9300—34800+ग्रेड पे 4200

2. अनुसूची-दो में शीर्षक समूह "ख" गैर चिकित्सीय में अनुक्रमांक 22 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनु- क्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की प्रतिशतता			अभ्युक्तियां
				सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिए]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	वरिष्ठ निज सहायक	मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा-द्वितीय श्रेणी	4	-	100 प्रतिशत	-	-

3. अनुसूची-चार के समूह "ख" गैर चिकित्सीय में अनुक्रमांक 16 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक	पद अथवा सेवा का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	उस पद पर अनिवार्य अर्हता तथा अन्य अनुभव जिससे पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	निज सहायक	वरिष्ठ निज सहायक	पांच वर्ष	1. प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग—अध्यक्ष 2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं—सदस्य 3. संचालक—सदस्य

क्र. एफ. 3-16-2010-सत्रह-मेडि-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-एक (क) में प्रवर्ग-3 में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.
2. अनुसूची-दो (क) प्रवर्ग-3 में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

F. No. 3-16-2010-XVII-M-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following Amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) In Schedule-I, in the heading Group 'B' - Non-Medical, after serial number 22, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

Sr. No.	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Pay Scale
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)
"23	Senior Personnel Assistant	4	Class-II	9300—34800+Grade pay 4200

- (2) In Schedule-II, in the heading Group 'B' - Non-Medical, after serial number 22, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total No of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remarks
				By Direct Recruitment {See Rule 6(1)(a)}	By Promotion {See Rule 6(1)(b)}	By Transfer of persons from other services {See Rule 6(1)(c)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"23	Senior Personnel Assistant	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted Services- Class-II	4	-	100%	-	-

- (3) In Schedule-II, in the heading Group 'B' - Non-Medical, after serial number 16, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

Sr. No.	Name of Posts or Service from which promotion is to made	Name of Posts to which promotion is to be made	Essential Qualification and other experience in the post from which promotion is to be made	Name of Members of the Departmental Promotion Committee.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"17	Personnel Assistant	Senior Personnel Assistant.	Five Years	1. Principal Secretary/Secretary, Public Health and Family Welfare Department—Chairman 2. Commissioner, Health Services—Member, 3. Director—Member.

F. No. 3-16-2010-XVII-M-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following Amendments in the Madhya Pradesh, Public Health and Family Welfare (Directorate of Health Services) Class-III Service Recruitment Rules, 1989, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) In Schedule-I(a), in Category-3, Serial Number 1 and entries relating thereto shall be omitted.
- (2) In Schedule-II(a), in Category-3, Serial Number 1 and entries relating thereto shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, उपसचिव.